केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
सेवोत्तम/SEVOTTAM
आई.एस.-15700 प्रमाणित
IS-15700 CERTIFIED
एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003
N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003
वेबसाईट/WEBSITE : http://www.centralexciseaurangabad.gov.in
ई-मेल/E-mail : cexauran@excise.nic.in
फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

<u>अधिसूचना संख्या 01/2016 – सीमा शुल्क (एन.टी.)</u>

अधिसूचना संख्या 83/98 सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 26 अक्टूबर, 1998 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अनुच्छेद 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अधोहस्ताक्षरी, सी. एल. महर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद का आयुक्त एतदद्वारा औरंगाबाद आयुक्तालय की अधिसूचना संख्या 8/98-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 16 नवम्बर 1998 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 01/2005-सीमा शुल्क(एन.टी.), दिनांक 08 अप्रैल, 2005 द्वारा अधिसूचित 1,01,205 वर्गमीटर के कुल सीमा शुल्क क्षेत्र में से घरेलू परिचालन के लिए 26,930 वर्गमीटर के क्षेत्र को अनधिसूचित करता हूँ ।

खुले पक्के क्षेत्र सहित कुल 74,275 वर्ग मीटर क्षेत्र में मालीवाड़ा स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की सीमा शुल्क क्षेत्र की संशोधित परिसीमाओं को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है :-

उत्तर : आई.सी.डी. रेलवे ट्रेक से 15 मीटर दूर दक्षिण की तरफ तथा दौलताबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिण मध्य रेलवे का रेलवे ट्रेक ।
दक्षिण : घरेलू प्रयोजन हेतु वाहनों के परिचालन के लिए सड़क की चैन फेंसिंग ।
पूर्व : घरेलू प्रयोजन हेतु वाहनों के परिचालन के लिए सड़क की चैन फेंसिंग ।
पश्चिम : मालीवाड़ा-असेगांव रोड़ ।

अधिप्रमाणित

हस्ता./-21.09.2016
(सी. एल. महर)
आयुक्त

21/9/16
(अपर आयुक्त)

फा.सं. VIII(सीमा शुल्क)29/टी.ए./2016
औरंगाबाद, दिनांक 21.09.2016
प्रति प्रेषित :-

1. डाकसूची के अनुसार ।
2. सभी व्यापार संगठन, औरंगाबाद ।
3. सभी उप/सहायक आयुक्त, औरंगाबाद आयुक्तालय ।
4. रिजनल जनरल मैनेजर, कंटेनर्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नागपुर ।